

## निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: सेवायें-1/ 695 /2(3)पदो/2016-17 दिनांक 26 जुलाई, 2016

### विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड में प्रचलित उत्तर प्रदेश शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा नियमावली 1993 के प्राविधानों के अनुसार विभागीय चयन समिति द्वारा चयनोंपरान्त प्रवक्ता संवर्ग एवं स0अ0 (एल0टी0) संवर्ग के निम्नांकित शिक्षकों को शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा वेतनबैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में प्रधानाध्यापक के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय/संस्था में अस्थाई रूप से एतद्वारा पदस्थापित किया जाता है।


| क्र0 सं0 | नाम                       | कार्यरत विद्यालय का नाम      | जन्मतिथि एवं गृह जनपद | पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापन का विद्यालय | अभ्युक्ति         |
|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 1        | 2                         | 3                            | 4                     | 5   | 6                 |
| 1        | श्री श्याम नारायण कुशवाह  | रा0इ0का0 पहाड़पानी नैनीताल   | 05-07-59              | रा0उ0मा0वि0 पुटगांव नैनीताल               | रिक्त पद के प्रति |
| 2        | श्री राम आसरे             | रा0इ0का0 मटियाली पौड़ी गढवाल | 05-07-61              | रा0उ0मा0वि0 आमसौड पौड़ी गढवाल             | रिक्त पद के प्रति |
| 3        | श्री मनीराम शास्त्री      | रा0इ0का0 गडोली उत्तरकाशी     | 02-10-58              | रा0उ0मा0वि0 सबौरा उधमसिंह नगर             | रिक्त पद के प्रति |
| 4        | श्री घनश्याम पंत          | रा0इ0का0 सोमेश्वर अल्मोड़ा   | 06-12-59              | रा0उ0मा0वि0 लखनाड़ी अल्मोड़ा              | रिक्त पद के प्रति |
| 5        | श्री भूप सिंह             | रा0इ0का0 दुगडड़ा पौड़ी गढवाल | 01-01-62              | रा0उ0मा0वि0 हनुमन्ती पौड़ी गढवाल          | रिक्त पद के प्रति |
| 6        | श्री भूपेन्द्र सिंह बजेठा | रा0इ0का0 सामेश्वर अल्मोड़ा   | 17-06-65              | रा0उ0मा0वि0 कोलांग बागेश्वर।              | रिक्त पद के प्रति |
| 7        | श्री शिव सिंह विष्ट       | रा0इ0का0 पावौ पौड़ी गढवाल    | 20-02-57              | रा0उ0मा0वि0 बैगवाड़ी पौड़ी गढवाल।         | रिक्त पद के प्रति |
| 8        | श्री राजहंस डोभाल         | रा0इ0का0 चौनलिया अल्मोड़ा    | 01-07-60              | रा0उ0मा0वि0 थलामनराल अल्मोड़ा             | रिक्त पद के प्रति |
| 9        | श्री रामकृष्ण पाठक        | रा0इ0का0 कनकपुर उधमसिंह नगर  | 01-01-58              | रा0उ0मा0वि0 भंगा उधमसिंह नगर।             | रिक्त पद के प्रति |
| 10       | श्री हरीश चन्द्र जोशी     | रा0इ0का0 बांसबगड़ पिथौरागढ़  | 12-07-56              | रा0उ0मा0वि0 धामीगांव पिथौरागढ़            | रिक्त पद के प्रति |

- (1) शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा संवर्ग में वरिष्ठता का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।
- (2) उक्त पदोन्नति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका संख्या: 1457/एस0 एस0/ 2016 हरीश चन्द्र जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, याचिका संख्या 528/एस0एस0/ 2015ख्यालीराम कपिल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं याचिका संख्या 522/एस0एस0/2015 दिनेश चन्द्र त्रिपाठी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगी।
- (3) उक्त शिक्षकों की पदोन्नति उनके पोषक संवर्ग की वरिष्ठता क्रमानुसार की जा रही है किन्तु मूल अभिलेखों में वरिष्ठता सूची से इतर तथ्यों की पुष्टि होने पर सम्बन्धित की पदोन्नति को निरस्त करते हुए उन्हें पूर्व धारित पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

- (4) संबंधित पदोन्नत शिक्षक पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर नवीन पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न किये जाने की दशा में पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा आगामी 03 चयन वर्षों तक पुनः पदोन्नति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।


  
(आर0के0कुवर)  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0/सेवायें-1/13816-35 /2(3)पदो0 /2016-17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मन्त्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 2- सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, पटेलनगर, देहरादून।
- 5- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- वित्त नियन्त्रक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 8- सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)।
- 9- मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0), कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौडी।
- 10-समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पदोन्नति आदेश की एक प्रति अपने जनपद के संबंधित प्रधानाचार्य को अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11-प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/डी0आर0सी0, सम्बन्धित जनपद।
- 12-वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
- 13-वित्त एवं लेखाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
- 14-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 15-संबन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षकों के कार्यमुक्ति करने/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षकों के सेवा अभिलेखों से जन्मतिथि एवं अन्य विवरणों की भलीभाँति पुष्टि कर लें तथा कार्यमुक्ति/कार्यभार ग्रहण की सूचना पंजीकृत डाक से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 16-सम्बन्धित पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका।
- 17-सेवा-2 अनुभाग, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 18-वरिष्ठता प्रकोष्ठ, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 19-आर0टी0आई0 प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 20-कार्यालय गार्ड फाइल।

  
(बी0एस0नेगी)  
प्रभारी अपर निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

## निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या: सेवायें-1/ 694 /2(3)पदो/2016-17 दिनांक. 26 जुलाई, 2016

### विज्ञप्ति / पदोन्नति

उत्तराखण्ड में प्रचलित उत्तर प्रदेश शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा नियमावली 1993 के प्राविधानों के अनुसार विभागीय चयन समिति द्वारा चयनोपरान्त प्रवक्ता संवर्ग से निम्नांकित शिक्षिका को शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा वेतनबैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में प्रधानाध्यापिका के पद पर मौलिक पदोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय/संस्था में अस्थाई रूप से एतद्वारा पदस्थापित किया जाता है।

| क्र0 सं0 | नाम                  | कार्यरत विद्यालय का नाम             | जन्मतिथि एवं गृह जनपद | पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापन का विद्यालय | अभ्युक्ति         |
|----------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 1        | 2                    | 3                                   | 4                     | 5   | 6                 |
| 1        | श्रीमती सुनीता मधवाल | रा0बा0इ0कालेज घमण्डपुर पौड़ी गढ़वाल | 30-6-65               | रा0क0उ0मा0वि0 वांसिज्ञाना पौड़ी गढ़वाल।   | रिक्त पद के प्रति |

- (1) शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा संवर्ग में वरिष्ठता का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।
- (2) उक्त पदोन्नति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित याचिका संख्या: 1457/एस0 एस0/2016 हरीश चन्द्र जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, याचिका संख्या 528/एस0एस0/2015 ख्यालीराम कपिल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं याचिका संख्या 522/ एस0एस0/2015 दिनेश चन्द्र त्रिगढी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगी।
- (3) उक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदोन्नति उनके पोषक संवर्ग की वरिष्ठता क्रमानुसार की जा रही है किन्तु मूल अभिलेखों में वरिष्ठता सूची से इतर तथ्यों की पुष्टि होने पर सम्बन्धित की पदोन्नति को निरस्त करते हुए उन्हें पूर्व धारित पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
- (4) संबन्धित पदोन्नत शिक्षिका पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर नवीन पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न किये जाने की दशा में पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा आगामी 03 चयन वर्षों तक पुनः पदोन्नति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।


1

(आस0क0/कुंवर)  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०सं०/सवायें-1/ 12796-815 /2(3)पदो /2016-17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निजी सचिव, मा० शिक्षा मन्त्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 2- सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, पटेलनगर, देहरादून।
- 5- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- वित्त नियन्त्रक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 8- सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)।
- 9- मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०), कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- 10-सगस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पदोन्नति आदेश की एक प्रति अपने जनपद के संबंधित प्रधानाचार्य को अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11-प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/डी०आर०सी०, सम्बन्धित जनपद।
- 12-वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
- 13-वित्त एवं लेखाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
- 14-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 15-संबन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्ति करने/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षिका के सेवा अभिलेखों से उन्मत्ति एवं अन्य विवरणों की भलीभाँति पुष्टि कर लें तथा कार्यमुक्ति/कार्यभार ग्रहण की सूचना पंजीकृत डाक से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 16-सम्बन्धित पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका।
- 17-सेवा-2 अनुभाग, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 18-वरिष्ठता प्रकोष्ठ, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 19-आर०टी०आई० प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 20-कार्यालय गार्ड फाइल।

  
(बी०एस०नेगी)  
प्रभारी अपर निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड